जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 166 वीं बैठक दिनांक 27.07.2011 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति शुचि शर्मा सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमति मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती लवंग शर्मा, अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती अल्पा चौधरी, उपायुक्त जोन- 5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री अनिल कुमार जैन, उपायुक्त जोन-6 जविप्रा, जयपुर।
5. श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री नीरज तिवारी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी), जविप्रा जयपुर।
8. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, (सहकारिता), जविप्रा जयपुर।
9. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी-एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
10. श्री राजेन्द्र भट्ट, उपरजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री नवलकिशोर बैरवा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

166 / 27.07.2011

विषय:-बीपीसी (एल.पी.) की 165 वीं बैठक दिनांक 05.07.2011 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2

166 / 27.07.2011(जोन-1)

विषय:-सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना जय अम्बे नगर के भूखण्ड संख्या बी-19 के नियमन के सबंध में।

बीपीसी एलपी की 156वीं बैठक दिनांक 16.12.2010 में लिये गये निर्णय के क्रम में मौका रिपोर्ट उपरांत प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा ऐजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार वर्तमान में प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 19 पर व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल रही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि आवेदक से भूखण्ड का व्यावसायिक उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाकर भूखण्ड संख्या 19 का नियमन किया जावे। वर्तमान में निर्मित निर्माण के सबंध में जोन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आइटम सं:-3

166 / 27.07.2011(जोन-5)

विषयः-नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना निर्माण नगर एबी के भूखण्ड संख्या 12, 13 एवं 175 से 179 (कुल 7 भूखण्ड) क्षेत्रफल 1955.68 वर्ग गज का पुर्नगठन किये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1955.68 वर्ग गज है। अतः भूखण्ड संख्या 12, 13 एवं 175 से 179 (कुल 7 भूखण्ड) का पुर्नगठन निम्न पैरामीटर्स के अनुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सैटबैक

सामने 160' सडक की ओर	–	40'–00'
शेष तीनों ओर	–	20'–0"
अधिकतम उंचाई	–	14 मीटर
अच्छादित क्षेत्र	–	40 प्रतिशत
एफ.ए.आर	–	1.2

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

एजेण्डा आइटम सं:-4

166 / 27.07.2011(जोन-6)

विषयः-ग्राम हरमाडा के खसरा नं. 730 से 735 रकबा लगभग 4 बीघा कृषि भूमि में पश्चिम दिशा से प्रवेश हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने बाबत्।

समिति द्वारा सबंधित प्रकरण के विस्तृत विचार-विमर्श किये जाकर एवं श्री वीरेन्द्र बहादूर सिंह सेवानिवत्त्त डीजीपी को सुना जाकर निम्न निर्णय लिया गयाः-

1. सहकारी समिति की योजना हनुमान वाटिका का क्षेत्रफल प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अनुमोदित योजना के अनुसार सही है अथवा नहीं, इसकी जांच जोन स्तर पर की जावे, साथ ही क्या क्रयशुदा भूमि व खातेदारी भूमि के मध्य स्थित रास्ते की भूमि का क्रय भी सहकारी समिति द्वारा किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट किया जावे।
2. उपायुक्त जोन-6 श्री अनिल कुमार जैन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि हनुमान वाटिका के भूखण्ड संख्या 41 से 49 के पूर्व दिशा में वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई रास्ता जमाबन्दी में नहीं है एवं खातेदारी भूमि ही है तथा पूर्व में 10' की पगडंडी थी। अतः पगडंडी की भूमि सहकारी समिति की क्रयशुदा भूमि है अथवा नहीं की जांच खसरा सुपर ईम्पोजिशन किये जाकर जोन स्तर पर की जावे तथा इस सबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।
3. भूखण्ड सख्या 41 से 49 के भूस्वामियों को जविप्रा द्वारा लीजडीड जारी की जा चुकी है। अतः क्या जारी लीजडीडों के अंकित क्षेत्रफल में पंगडंडी/खातेदारी भूमि को कम किया जाना उपयुक्त होगा अथवा नहीं इस बाबत् भी स्पष्ट रिपोर्ट दी जावे।

4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के सबंध में स्पष्ट रिपोर्ट जोन स्तर पर दिये जाने के उपरांत इसका विधिक परीक्षण निदेशक (विधि) से करवाया जावे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अनुमोदित भूखण्डों की जमीन कम की जा सकती है अथवा नहीं तथा इसमें कोई विधिक कठिनाई तो उत्पन्न नहीं होगी।

5. विधि शाखा से विधिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत भूखण्ड संख्या 41 से 49 के भूखण्डधारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः सचिव/अतिरिक्त आयुक्त के स्तर से भू–स्वामियों की सुनवाई की जावे। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:–5
166/27.07.2011(जोन–7)

विषयः–संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रणजी नगर के भूखण्ड संख्या 16 का उपविभाजन करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। समिति द्वारा आवेदक को सुना गया। भूखण्ड पर सैटबैक में अत्याधिक निर्माण किया हुआ है। अतः समिति द्वारा आवेदक को निर्देशित किया गया कि वह स्वयं के स्तर पर नियमबद्ध श्रेणी से अधिक निर्माण को ध्वस्त करने के उपरांत उपायुक्त जोन को सूचित करें तत्पश्चात् जोन द्वारा पूर्ण परीक्षण उपरांत प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:–6
166/27.07.2011(जोन–7)

विषयः–नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विद्युत नगर ए के भूखण्ड संख्या 211 का उपविभाजन करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। भूखण्ड पर अग्र सैटबैक में निर्माण किया हुआ है। अतः आवेदक स्वयं के स्तर पर नियमबद्ध श्रेणी से अधिक निर्माण को ध्वस्त करने के उपरांत उपायुक्त जोन को सूचित करें तत्पश्चात् जोन द्वारा पूर्ण परीक्षण उपरांत प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या–1
166/27.07.2011(जोन–9)

विषयः– भूखण्ड संख्या 1 व 2 योजना शिव नगर द्वितिय (निजी खातेदारी) के पुर्नगठन के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शिव नगर योजना द्वितिय स्वीकृत योजना है। तथा भू. सं. 1 व 2 योजना में प्रस्तावित 60' सडक पर स्थित है। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1948.60 वर्ग गज है। इसलिये भूखण्ड संख्या 1 व 2 का पुर्नगठन निम्न पैरामीटर्स के अनुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सैटबैक

सामने – 12.00 मीटर
शेष तीनों ओर – 6.00 मीटर

अन्य मानदण्ड जविप्रा भवन विनियम 2010 व राज. राजपत्र दिनांक 26 मई 2011 में संशोधन के अनुसार देय होगें।

अति. एजेण्डा संख्या-2
166 / 27.07.2011 (जोन-7)

विषयः-- गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लायन्स लेन के भूखण्ड संख्या 141 की साईज व क्षेत्रफल में संशोधन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार भूखण्ड संख्या 138, 139, 140, 141 व 147 में ब्लॉक की नाप एवं मौके की नाप समान है तथा जोन द्वारा इस ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 141 के अतिरिक्त अन्य भूखण्डों की लीजडीड जारी की जा चुकी है तथा भूखण्ड संख्या 141 मौके पर 50'x 85'=472.22 वर्ग गज में निर्मित है अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति अनुसार नियमन किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

1/8/11
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2011 / डी– 572
दिनांक :– 01/8/11
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

1/8/11
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)